न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 06/2023

प्रार्थीगण

1. मगनाराम पुत्र गिरधारीराम
2. गुणेशाराम पुत्र गिरधारीराम
3. हिमताराम पुत्र गिरधारीराम
4. रमेशकुमार पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी सूरते की बेरी हाल निवासी आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. प्रभूराम पुत्र रतनाराम
2. नरसींगाराम पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी पटवार मण्डल धोरीमना तहसील धोरीमना
3. राणाराम पुत्र चिमनाराम जाति भील निवासी आदर्श लूखू पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
4. सुगणीदेवी पत्नी साजनराम
5. जमनादेवी पत्नी धीमाराम
6. गोरधनराम पुत्र ठाकराराम
7. लाखाराम पुत्र हरींगाराम फौत के कायम मुकान
   7/1. बाबूलाल पुत्र लाखाराम
   7/2. मांगीलाल पुत्र लाखाराम
8. खुमाराम पुत्र हरींगाराम
9. ओमप्रकाश पुत्र सुराराम
10. मोहन पुत्र साजनराम
11. भंवराराम पुत्र साजनराम
12. बाबूराम पुत्र धीमाराम फौत के कायम मुकाम
    12/1. श्रवण पुत्र बाबूराम
    12/2. प्रकाश पुत्र बाबूराम
13. मोहनराम पुत्र धीमाराम
14. राजूराम पुत्र धीमाराम
15. तेजाराम पुत्र भैराराम
16. भाखराराम पुत्र भैराराम
17. हाऊदेवी पत्नी सुराराम
18. पाचूदेवी पत्नी नेनाराम
19. अशोककुमार पुत्र नेनाराम जाति विश्नोई निवासी आदर्श लूखू पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमना
20. हेमीदेवी पत्नी आदूराम
21. भगाराम पुत्र आदूराम
22. रमेश पुत्र आदूराम
23. गिरधारीराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी आदर्श लूखू पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमना
24. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 23.01.2023

अधिवक्तागण :– 1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थीगण

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 27.02.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौ[illegible] राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–[illegible] 1956 [illegible] किया कि प्रार्थी संख्या 01 से 02 का ख[illegible] लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

धोरीमना के खसरा नम्बर 100/4 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, प्रार्थी संख्या 03 से 04 के खेत खसरा नम्बर 100/5 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नम्बर 100/6 क्षेत्रफल 3.5612 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी नकल व भू-नक्शा साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरों की भूमि पर प्रार्थीगण की पैतृक भूमि हैं जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व प्रार्थीगण स्वयं के नाम से है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा-सेढ ही पटवार मण्डल लूखू के ग्राम आदर्श लूखू के विप्रार्थी संख्या 01 से 02 तक के खेत खसरा नम्बर 100/10, विप्रार्थी संख्या 03 के खेत खसरा नम्बर 100/492, विप्रार्थी संख्या 04 से 19 तक के खेत खसरा नम्बर 99, विप्रार्थी संख्या 20 से 23 तक के खेत खसरा नम्बर 100/1, विप्रार्थी संख्या 15 से 16 तक के खेत खसरा नम्बर 251 की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 23 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2022/ सीमाज्ञान/32 दिनांक 20.12.2022 व क्रमांकः- भू.अ./2022/सीमज्ञान/33 दिनांक 20.12.2022 पटवारी हल्का लूखू को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 25.12.2022 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थीगण व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर खसरा नम्बर 100/6, 100/4 व 100/5 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थीगण को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धो[illegible]र्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतु पुलिस [illegible] प्रदान करावें। प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं [illegible]बंदी संबंधी फीस अदा करने

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा आदर्श लूखू पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/- रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी संख्या 01 से 02 का खातेदारी के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/4 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, प्रार्थी संख्या 03 से 04 के खेत खसरा नम्बर 100/5 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नम्बर 100/6 क्षेत्रफल 3.5612 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 24 तक को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए

विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 03 राणाराम पुत्र चिमनाराम की ओर से यह है – पैरा संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने आवंटन सुदा भूमि अवैधानिक रूप से क्रय की है आवंटित भूमि का बेचान नहीं कर सकते है। पैरा संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट पड़त भूमि थी जिस पर कुछ गरीबो की झुपड़ी होने से नजरीये नक्शा द्वारा आवंटन कर तरमीम कर दी जबकि तरमीम कब्जे के विपरित है। प्रार्थी संख्या 3 से 4 के नाम तरमीम दुरस्ती से पुर्व नेखमबन्दी नही हो सकती। प्रार्थी की पैतृक भूमि का तथ्य गलत लिखाया है। पुखराज सोनी व कोजाराम जाट को आवंटित हुई उन्होने गलत तरीके से प्रार्थीगण को हस्तान्तरित की। पैरा संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 03 का खेत सेटलमेंट नक्शा अनुसार वर्गाकार है जो आधा खसरा संख्या 100/492 में तथा आधा 100/10 व 100/5 में कब्जा व घर है। तरमीम कब्जा अनुसार नहीं है प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नही है। तथा पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट में भी कोई खुलासा नही है। इसलिए सीधा पत्थरबन्दी का आदेश नही दिया जा सकता जब तक तहसीलदार की स्पष्ट रिपोर्ट नही हो। पैरा संख्या 04 व 05 गलत है पटवारी कभी भी मौके पर नही आये। आते तो प्रार्थीगण का कब्जा नही होने तथा विप्रार्थी संख्या 3 के कब्जे की वास्तविक रिपोर्ट पेश करते। सेंटलमेन्ट नक्शा सलंग्न पेश है। पेरा संख्या 6 से 9 कानूनी है। **विशेष आपत्ति :–** आवंटित भूमि में स्पष्ट कब्जा अनुसार तरमीम नही होने तथा आवंटित भूमि अवैधानिक रूप से बेचान होने से आवेदन चलने योग्य नही है। उक्त सेट[illegible] का [illegible] संख्या 100 एक बड़ा पड़त का खसरा होने से स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के अभाव आदेश दिया [illegible] है तथा तरमीम दुरस्त के

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बाद ही पत्थरगढी सम्भव है। कब्जा प्राप्ति हेतु पत्थरगढी का आदेश नही हो सकता। अतः विधि विरुद्ध आवेदन मय खर्चा खारीज किया जावे का जबाब पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीनीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावें ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थीगण किसान हैं किसान के खेत के चारों तरफ नेखमबन्दी करना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थीगण अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया, अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण विवादित आराजी प्रार्थी संख्या 01 से 02 का खातेदारी के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/4 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, प्रार्थी संख्या 03 से 04 के खेत खसरा नम्बर 100/5 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नम्बर 100/6 क्षेत्रफल 3.5612 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है "विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2022/ सीमाज्ञान/32 दिनांक 20.12.2022 व क्रमांकः- भू.अ. /2022/सीमज्ञान/33 दिनांक 20.12.2022 पटवारी हल्का लूखू को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 25.12. 2022 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थीगण व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर खसरा नम्बर 100/6, 100/4 व 100/5 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थीगण को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।" प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माटें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते हैं। उक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी प्रार्थी संख्या 01 से 02 का खातेदारी के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 100/4 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, प्रार्थी संख्या 03 से 04 के खेत खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

100/5 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नम्बर 100/6 क्षेत्रफल 3.5612 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी प्रार्थी संख्या 01 से 02 का खातेदारी के खेत ग्राम आदर्श लूखू पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 100/4 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, प्रार्थी संख्या 03 से 04 के खेत खसरा नम्बर 100/5 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नम्बर 100/6 क्षेत्रफल 3.5612 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीनीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नम्बर 100/4 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, खसरा नम्बर 100/5 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 100/6 क्षेत्रफल 3.5612 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक (नेखमबन्दी/पत्थरगढ़ी) रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक **27.02.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner